

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-25/2019 श्र०सं०...../श्रीमती प्रियंका, श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम 220A में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 04.10.2025 से 15.12.2025 तक कुल 73 दिनों के शिशु देख-भाल अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्रीमती प्रियंका के शिशु देख-भाल अवकाश के छुट्टी-लेखा में 657 दिन छुट्टी आदेय रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-
(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-25/2019.....98...../श्र०सं० पटना, दिनांक-10/3/2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा० नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्रीमती प्रियंका, श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद एवं आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रमायुक्त, बिहार, पटना से अनुरोध है कि HRMS के अंतर्गत Leave Management Portal पर श्रीमती प्रियंका के शेष आदेय अवकाश की प्रविष्टि कर ली जाय।

3. श्रीमती प्रियंका, श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में सभी प्रकार के अवकाश अभ्यावेदन HRMS के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।


9.3.26
सरकार के संयुक्त सचिव